भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1744

उत्तर देने की तारीख-13/02/2023

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण

†1744. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने हेतु विभिन्न पहलें की हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा के वैश्वीकरण ने समाज को उद्योग-आधारित समाज से सूचना-आधारित समाज में प्रभावी रूप से परिवर्तित कर दिया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना से भारतीय विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार ने, विभिन्न देशों के समकक्षों के साथ शासकीय स्तर पर कोई समझौता ज्ञापन/शिक्षा विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए है;
(ड.) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार देश में विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को वित्तीय प्रबंधन, विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी आदि में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए अनुमति के विनियमन पर विचार कर रही है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): जी, हाँ। भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 विभिन्न उपायों को निर्धारित करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग और

संकाय/छात्र विनिमय की सुविधा प्रदान करना; विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना; अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना; विश्व के चयनित विश्वविद्यालयों अर्थात शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को संचालन की सुविधा प्रदान करना; विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और सहायता के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना; और इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, दवाओं की आयुष प्रणाली, योग, कला आदि जैसे विषयों में पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

एनईपी, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं, जैसे:

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 02.05.2022 को ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को चलाने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग पर विनियम जारी किए हैं।
ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 29.07.2022 को उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश विदेशी छात्रों की सुविधा प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने हेतु एकल संपर्क बिंदु के रूप में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अंतर्राष्ट्रीय कार्य कार्यालय की स्थापना के लिए हैं।
iii. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), में विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी गई है कि वे वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तरीय मानव संसाधन की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू विनियमों से मुक्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा तैयार विनियमों को छोड़कर, वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम पेश कर सकें।
iv. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्च संस्थानों के परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियमों को लागू करने संबंधी मसौदा तैयार किया है। मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 https://www.ugc.ac.in/pdfnews/9214094_Draft-Setting-up-and-Operation-of-Campuses-of-Foreign-Higher-Educational-Institutions-in-India-Regulations-2023.pdf पर उपलब्ध हैं।

इन पहलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बहु-विषयक शिक्षा के लिए छात्रों को वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(घ) और (ङ): जी, हाँ। वर्तमान में, ब्रिक्स देशों के साथ और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के साथ एक सहित 45 देशों के साथ सक्रिय समझौता ज्ञापन (एमओयू)/शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) हैं। इन देशों का विवरण https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर दिया गया है।

(च) और (छ): विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और ऑफशोर शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार गिफ्ट सिटी में अपने शाखा परिसरों की स्थापना कर सकते हैं। विनियम https://ifsca.gov.in/Viewer/Index/352 पर उपलब्ध हैं।

*****